

2022/247

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)



अज अदालत- ..... सहायक कलेक्टर ..... मुकाम- ..... डीडवाना .....

प्रार्थी :- परमेश्वरलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी छापरी गेट के बाहर डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण :- सत्यनारायण पुत्र बद्री प्रसाद जाति कुम्हार निवासी छापरी गेट के बाहर डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैरह।

किरम मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 91 सन-2022.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
28.04.2022	<p>प्रार्थी परमेश्वरलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति कुम्हार निवासी छापरी गेट के बाहर डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण सत्यनारायण पुत्र बद्री प्रसाद जाति कुम्हार निवासी छापरी गेट के बाहर डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैरह ने पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद अमरपुरा के खसरा संख्या 228 में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 की धारा 39 की धारा 3(a) की पालना करना सुनिश्चित करें।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>28/6/22</p> <p>वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी सं० ०५ को मोर से वकील अजीत सिंह राठोड से वकासतगाग ग्रथ जवाब मग दस्तावेज पेश किये। जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को दितायी गयी। अप्रार्थी सं० ०1 ता ०५ ०६ के सम्मन तासिस होकर प्राप्त गयी। पत्रावली वाले तारीख दिनांक 24/8/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड नसिबारी डीडवाना</p>	